प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में 2017-18 से 2022-23 की अवधि को आच्छादित करते हुए "देहरादून में स्मार्ट सिटीज़ मिशन के कार्यान्वयन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित किए गए हैं।

इस रिपोर्ट में उल्लिखित दृष्टांत वे हैं जो 2017-18 से 2022-23 की अवधि की लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए; लेकिन पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे। आवश्यकतानुसार, 2022-23 के पश्चात् की अवधि से संबंधित प्रकरणों को भी सम्मिलित किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संपादित की गई है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उत्तराखण्ड सरकार से प्राप्त सहयोग हेतु लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करती है।